



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28032021-226211
CG-DL-E-28032021-226211

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1296]

नई दिल्ली, रविवार, मार्च 28, 2021/चैत्र 7, 1943

No. 1296]

NEW DELHI, SUNDAY, MARCH 28, 2021/CHAITRA 7, 1943

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2021

का.आ. 1401(अ).—केन्द्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2021 (2021 का 16) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 28 मार्च, 2021 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 के खंड (v) के उपखंड (i) के सिवाय, उक्त अधिनियम के सभी उपबंध लागू होंगे।

[फा. सं. 1/5/2020-M.VI]

डॉ. वीणा कुमारी डरमल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF MINES

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 2021

S.O. 1401(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2021 (16 of 2021), the Central Government hereby appoints the 28th day of March, 2021 as the date on which all the provisions of the said Act, except sub-clause (i) of clause (v) of section 3 of the said Act, shall come into force.

[F. No. 1/ 5/2020-M.VI]

Dr. VEENA KUMARI DERMAL, Jt. Secy.